



कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
नगरीय विद्युत वितरण मण्डल-द्वितीय,
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
सिगरा, वाराणसी।

दूरभाष नं०- 0542/2227091
फैक्स नं०- 0542/2222088
dgmuedc2vns@gmail.com
seuedc2ndvns@gmail.com

पत्रांक :- 4480 /न.वि.वि.म.-द्वि०(वा०)/N.O.C.

/दिनांक :- 06.03.2020

विषय:-अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

उपाध्यक्ष,

वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी।

कृपया उक्त विषयक सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। उक्त के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि श्री शरद अग्रवाल, अराजी न०-171/7 एवं 7 मौजा-सोयेपुर, परगना-सदर, वाराणसी के आवेदन स०-MAP20191109190744763 हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, नगरीय विद्युत वितरण खण्ड-षष्ठम्, आशापुर, वाराणसी के पत्रांक-3163/न०वि०वि०ख०ख०(वा०) /दिनांक-06.03.2020 द्वारा प्रेषित स्थलीय जाँच रिपोर्ट के आधार पर एवं निम्न शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है-

- उपभोक्ता के परिसर के निजी विल्डर्स एवं प्रमोटर्स द्वारा विकसित किये जाने वाले आवासीय/अनआवासीय एवं एक तलीय/बहुतलीय भवन काम्प्लेक्सों में मुख्य प्रवेश द्वार/वाउण्ड्री वाल के मुख्य प्रवेश द्वार पर स्वतन्त्र प्रवेश द्वार के साथ मीटर रूम मीटरों की स्थापना हेतु सही नाप का सही हवादार मीटरिंग कक्ष (रूम) प्रमुखतः परिसर की सीमा में प्रवेश के निकट, सैद्धांतिक रूप से यह प्रांगण में प्रवेश किये बिना बाहर से पहुंच में होना चाहिए।
- विद्युत प्रदाय संहिता 2005 (तेरहवाँ संशोधन), के अनुच्छेद 4.9 के आधार पर समस्त घरेलू/गेर घरेलू बहुमंजिला सामूहिक आवास समीतियों/कालोनियों में नये संयोजन विद्युत आपूर्ति हेतु निजी स्वामियों/निवासीयों को बहु संयोजन बिन्दु पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अवमुक्त किया जायेगा।
- विकासकर्ता/विकास प्राधिकरण की भूमिका व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली से विद्युत आपूर्ति हेतु आवश्यक विद्युत संरचना उपलब्ध कराने तक सीमित होगी। तदनुसार प्रारम्भिक चरण में विकासकर्ता/विकास प्राधिकरण विद्युत संरचना के विकास हेतु अनुज्ञप्तिधारी से एक अस्थायी संयोजन लेंगे। एक बार विद्युत संरचना के विकसित हो जाने पर विकासकर्ता उसे बस बार तथा अन्य केन्द्रीय संयंत्रों सहित अनुज्ञप्तिधारी को सौंप देगा जो उसके नियंत्रण में रहेंगे।
- विद्युत संरचना के सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाने तथा अनुज्ञप्तिधारी को सौंपे जाने पर समस्त कब्जेदार/उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी से व्यक्तिगत संयोजन हेतु आवेदन करेंगे जबकि विकासकर्ता/निवासी कल्याण संगठन मिश्रित सुविधाओं हेतु अलग से संयोजन अथवा संयोजनों के लिए आवेदन करेंगे।
- उक्त NOC प्लॉट के अन्दर से विद्युत लाईन न जाने तथा विद्युत बकाये न होने से सम्बन्धित है। प्रमोटर को मल्टीस्टोरी पर नियमानुसार अस्थाई एवं स्थाई कनेक्शन हेतु अलग से आवेदन विकास प्राधिकरण के अनुमोदित मैप के साथ करना होगा जिसकी एक प्रति मण्डल कार्यालय को प्रस्तुत की जायेगी। विद्युत संयोजन देने के लिए विद्युत प्रदाय संहिता 2005 के नियमानुसार कनेक्शन जारी किया जायेगा।

(दीपक अग्रवाल)

अधीक्षण अभियन्ता

पत्रांक :- /न.वि.वि.म.-द्वि०(वा०)/N.O.C.

/दिनांक :- .03.2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, नगरीय विद्युत वितरण खण्ड-षष्ठम्, आशापुर, वाराणसी।
2. श्री शरद अग्रवाल, अराजी न०-171/7 एवं 7 मौजा-सोयापुरा, परगना-सदर, वाराणसी।

(दीपक अग्रवाल)

अधीक्षण अभियन्ता

प्रारूप-घ (संलग्नक-3) औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाणपत्र

यूआईडी संख्या: UPFS/2020/16525/VRN/VARANASI/311/CFO

दिनांक: 27-01-2020

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **SRV PROMOTERS** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **171-7 AND 7, MAUJA- SOYEPUR, PARAGANA- SHIVPUR, MAUJA- SOYEPUR, PARAGANA- SHIVPUR, VARANASI** तहसील - **SADAR** प्लाट एरिया **2316.91 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **629.65** (वर्गमीटर), ब्लॉकों की संख्या **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
1	8	2	24.00 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **SRV PROMOTERS** द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार किया गया है। इस भवन को औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाणपत्र, एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Residential** के अन्तर्गत इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में अधिभोग श्रेणी के अनुसार सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं के मानकों का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऐसा न करने पर निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **SRV PROMOTERS** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(ANIMESH SINGH)

[003929A9E31921039170D2132DFC53B100E5723D]

02-02-2020

निर्गत किये जाने का दिनांक : 02-02-2020
स्थान : VARANASI

शुद्धि पत्र

कृपया इस कार्यालय के समांक पत्र दिनांक: 27.01.2020 का अवलोकन करे जो S R V PROMOTORS , 171-7 AND 7 MAUJA- SOYEPUR, PARAGANA-SHIVPUR VARANASI को यू0आई0डी0 संख्या: UPFS/2020/16525/VRN / VARANASI/311/CFO दिनांक: 02.02.2020 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है जिसमें त्रुटिवश कुल कवर्ड एरिया-629.65 वर्गमीटर अंकित है, जो भूतल/स्टिल्ट का कवर्ड एरिया है।

अतः उपरोक्तानुसार कुल कवर्ड एरिया-629.65 के स्थान पर कुल कवर्ड एरिया-5580.19 वर्गमीटर समझा जाय।

18 FEB 2020

(अनिमेष सिंह)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वाराणसी।

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, वाराणसी।

पत्र संख्या:UPFS/2020/16525/VRN/VARANASI/311/CFO दिनांक: फरवरी 18, 2020

प्रतिलिपि: निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. स्वामी/पबन्धक S R V PROMOTORS , 171-7 AND 7 MAUJA-SOYEPUR, PARAGANA-SHIVPUR VARANASI
2. अग्निशमन अधिकारी चेतगंज, वाराणसी को उनके आख्या दिनांक

जल कल विभाग नगर निगम वाराणसी।

सेवा मे,
नगर अभियन्ता (मवन)
वाराणसी विकास प्राधिकरण,
वाराणसी।

पत्रांक- 1620 /अ.अ. (उ.)/ज.क.न.नि./19-20 दिनांक- 16 /03/2020

विषय- आराजी भूखण्ड संख्या- 171/7, मौजा-सोयेपुर व आराजी संख्या-7, मौजा हाशिमपुर, परगना-शिवपुर, जिला-वाराणसी पर मानचित्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय द्वारा जारी आनलाइन मैप संख्या MAP20191109190744763 के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त भूखण्ड नगर निगम वाराणसी की सीमा के बाहर है।

कृपया तदनुसार अवगत हो।

भवदीय


सहायक अभियन्ता(उ०)
ज.क.न.नि., वाराणसी।

पत्रांक - /अ.अ. (उ.)/ज.क.न.नि./19-20 दिनांक- / /2020
प्रतिलिपि -

1. अधिशारी अभियन्ता (उ०) महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री शरद अग्रवाल, आराजी भूखण्ड संख्या-171/7, मौजा-सोयेपुर व आराजी संख्या-7, मौजा हाशिमपुर, परगना-शिवपुर, जिला-वाराणसी को सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक अभियन्ता(उ०)
ज.क.न.नि., वाराणसी।

प्रेषक,

प्रभारी अधिकारी (राजस्व),
नगर निगम, वाराणसी।

सेवा में,

नगर अभियंता (भवन)
वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी।

पत्र संख्या- 1294/राजस्व/19-20 दिनांक- 06/03/20
विषय- मानचित्र अनापत्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय से आनलाईन संख्या
MAP20191109190744763 दिनांक 18.02.2020, श्री शरद अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत मानचित्र
आराजी नम्बर-171/7 मौजा-सोयेपुर व आराजी न0 7 मौजा- हाशिमपुर परगना शिवपुर
तहसील सदर जिला वाराणसी, विभागीय आख्यानसार उक्त प्रस्तावित स्थल नगर निगम सीमा
के बाहर स्थित है।

तदनुसार अवगत हों ।

भवदीय



प्रभारी अधिकारी(राजस्व)
महोदय नगर निगम, वाराणसी